अप्रैल 2022-23 से लागू 'अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग स्कीमों' के लिए दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

i) समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, स्वतंत्रता के समय से ही सरकार का प्राथमिक सरोकार क्षेत्र रहा है। कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि त्वरित आर्थिक विकास और राष्ट्र की समावेश सुनिश्चित करने के लिए उनके कौशल एवं क्षमता को बढ़ाया जा सके।

ii) अनुसूचित जातियों (एससी) के छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करने संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और अल्पसंख्यक छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए भी इसी तरह की स्कीमें कार्यान्वित की गई थी। प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करने तथा छात्रों को बेहतर तरीके से सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के लिए अलग-अलग कोचिंग स्कीमों का विलय कर दिया गया था और एक संयुक्त स्कीम, नामत: 'अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध सहायता' का आरंभ सितम्बर, 2001 से किया गया था।

iii) अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक अलग मंत्रालय अर्थात् अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन करने के बाद, अल्पसंख्यक घटक को इस स्कीम की परिधि से अलग करने और उस समय आवश्यक समझे जाने वाले अन्य संशोधनों को शामिल करने की दृष्टि से अप्रैल, 2007 में इस स्कीम में और अधिक संशोधन किए गए थे। इस स्कीम को पिछली बार 01.04.2016 से संशोधित किया गया था।

2. उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से लाभवंचित अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के उम्मीदवारों को अच्छी गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें तथा सरकारी/निजी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

3. कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम

जिन पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी, वे निम्नानुसार होंगे :-

क. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे बोर्डों (आरआरबी) द्वारा आयोजित समूह 'क' और 'ख' परीक्षाएं;
ख. राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित समूह 'क' और 'ख' परीक्षाएं;
ग. बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा आयोजित अधिकारी ग्रेड परीक्षाएं;
घ. (क) इंजीनियरिंग (उदाहरणार्थ आईआईटी-जेईई), (ख) मेडिकल (उदाहरणार्थ एनईईटी), (ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे प्रबंधन (उदाहरणार्थ सीएटी) और विधि (उदाहरणार्थ सीएलएटी), और मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित समय-समय पर अन्य कोई विषय प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं।
ड. एसएटी, जीआरई, जीएमएटी, आईईएलटीएस और टीओईएफएल जैसे पात्रता टेस्ट/परीक्षाएं।
च. सीपीएल पाठ्यक्रमों/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और संयुक्त रक्षा सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं।

4. विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच स्लॉटों का वितरण

कुल उपलब्ध स्लॉटों में से 60% स्लॉट उन पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित किए जाएंगे जिनके लिए स्नातक (स्नातक स्तर) अर्हत परीक्षा है, कुल स्लॉटों में 40% स्लॉट उन पाठ्यक्रमों के लिए आवंटित किए जाएंगे जिनमें कक्षा 12 अर्हत परीक्षा है।

5. उम्मीदवारों का श्रेणी-वार अनुपात

इस स्कीम के अंतर्गत कोचिंग प्राप्त करने के लिए एससी और ओबीसी छात्रों का अनुपात 70:30 का होगा। यदि ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस अनुपात को शिथिल भी कर सकता है।

6. छात्रों के लिए पात्रता संबंधी मानदंड

क. इस स्कीम के अंतर्गत, एससी और ओबीसी के केवल वे, विद्यार्थी पात्र हैं जिनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपए तक अथवा कम है।

ख. अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एससी/ओबीसी के विद्यार्थी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की समान स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

ग. आय प्रमाण पत्र: स्व-रोजगारशुदा माता-पिता/अभिभावक की आय घोषणा एक राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से कम न हो द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के रूप में होनी चाहिए। रोजगारशुदा माता-पिता/अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से प्राप्त करना होगा और राजस्व अधिकारी से समेकित प्रमाण पत्र आय के किसी अतिरिक्त स्रोतों सहित जमा करवाना होगा।

घ. जिन प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए अर्हक परीक्षा XII है, उन उम्मीदवार को स्कीम के अंतर्गत लाभ तभी मिलेगा जब उम्मीदवार स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की तारीख तक या तो कक्षा XII उत्तीर्ण कर चुका हो अथवा कक्षा XII में अध्ययनरत हो। विद्यार्थी को आवेदन पत्र में उसके द्वारा कक्षा X में प्राप्त अंकों की घोषणा करनी होगी। विद्यार्थी द्वारा कक्षा X में उसके द्वारा प्राप्तांकों की उसकी योग्यता का मूल्यांकन करने और पारस्परिक मेरिट प्राप्त करने के उद्देश्य से गणना की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के कक्षा X में 50% से कम अंक है, वे स्कीम के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे।

ड. इसके अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में, जिसके लिए अर्हक परीक्षा स्नातक स्तर है, स्कीम के अंतर्गत केवल उन्हीं विद्यार्थियों/उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा जो स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते समय स्नातक स्तर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके होंगे अथवा स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में होंगे। विद्यार्थी द्वारा उसकी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में प्राप्तांकों को उसकी योग्यता का मूल्यांकन करने और पारस्परिक मेरिट प्राप्त करने के उद्देश्य से गिना जाएगा। कक्षा XII में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्कीम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

च. इस स्कीम के अंतर्गत इस बात की परवाह किए बिना कि वह किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए भी अवसर प्राप्त कर सकता है/सकती है, और परीक्षा में चरणों की संख्या कितनी है, कोई भी छात्र दो बार से अधिक लाभ नहीं उठा सकता है छात्र को इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने इस स्कीम के अंतर्गत दो बार से अधिक लाभ नहीं उठाया है।

छ. उम्मीदवार केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा संचालित ऐसी किसी भी अन्य कोचिंग स्कीम के अंतर्गत लाभ नहीं उठा सकेगा और एक घोषणा पत्र प्रदान करना होगा। स्कीम के अंतर्गत स्कीम का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की एक सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी और उसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाएगा ताकि कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी कोचिंग स्कीम का साथ-साथ लाभ एक से अधिक बार न उठा सके।

7. कार्यान्वयन की पद्धति

मंत्रालय स्कीम के पैरा 9 में निर्धारित के अनुसार कुल 3500 विद्यार्थियों का सीधा चुनाव होगा। इन विद्यार्थियों को केवल वास्तविक मोड के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अपनी पसंद के एक संस्थान में अनुबंध में अंकित किसी भी परीक्षा के लिए एक कोचिंग करने की छूट है। स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन कोचिंग समर्थित नहीं होगी।

8. सहायता सीमा

क. संस्थान का वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क, अथवा स्कीम के अनुबंध के अनुसार मंत्रालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क, जो भी कम हो, देय होगा। यदि पाठ्यक्रम शुल्क अनुबंध में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो उम्मीदवार को शेष निधि की व्यवस्था अपने स्वयं के स्रोतों से करनी होगी।

ख. **कोचिंग शुल्क** का भुगतान उम्मीदवार द्वारा संस्थान को शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाली शुल्क रसीद अपलोड करने की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर डीबीटी के माध्यम से एक ही किश्त में किया जाएगा इसलिए यह प्रतिपूर्ति के आधार पर है।

ग. **4000/-** रुपये **प्रति छात्र** का **मासिक वजीफा** एक किश्त में डीबीटी के माध्यम से कोचिंग की अवधि पूरी होने के बाद और उस परीक्षा में बैठने के बाद जिसके लिए कोचिंग ली गई है छात्र को जारी किया जाएगा। यह दावा करने के लिए परीक्षा का हॉल टिकट के साथ छात्र को स्व-प्रमाणन अपलोड करना होगा कि उसने कोचिंग पूरी कर ली है और परीक्षा दी है। यदि कोचिंग पूरा होने के एक वर्ष के भीतर परीक्षा नहीं दी जाती है और उसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो छात्र का वजीफा समाप्त हो जाएगा।

9. कार्यान्वयन के तौर-तरीके

क) चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

इन संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रथम वर्ष यानी 2022-23 के लिए स्कीम के अंतर्गत 3500 छात्रों का चयन किया जाएगा। विभिन्न कोचिंग स्कीमों के लिए सीटों का आवंटन निम्नानुसार होगा:

		अनुसूचित जाति 70%			**ओबीसी 30%**		
कोचिंग का प्रकार	**कुल संख्या**	**बालक**	**बालिकाएं (न्यूनतम)**	**कुल**	**बालक**	**बालिकाएं (न्यूनतम)**	**कुल**
12वीं कक्षा की पात्रता	1400	686	294	980	294	126	420
डिग्री पात्रता	2100	1029	441	1470	441	189	630
	3500	1715	735	2450	735	315	1050

यह सुनिश्चित करते हुए कम से कम 70% स्लॉट अनुसूचित जाति के छात्रों को मिले हैं किसी भी वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों की कमी के मामले में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध स्लॉटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्लॉटों का फिर से संवितरण किया जाएगा।

ख) आवेदन की प्रक्रिया:

i. आवेदकों को स्कीम की पात्रता शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के बाद जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना चाहता/चाहती है उस पाठ्यक्रम के ब्यौरे के साथ नि:शुल्क कोचिंग स्कीम पोर्टल यथा: coaching.dosje.gov.in पर केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

ii. आवेदकों को अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन अपलोड करने होंगे।

iii. छात्र यदि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों या एससी/ओबीसी के लिए शीर्ष श्रेणी की छात्रवृत्ति स्कीमों का वर्तमान लाभार्थी है, तो इन छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा आवंटित उनकी विशिष्ट आईडी के साथ इसका उल्लेख किया जाएगा।

iv. उन सभी छात्रों के लिए आधार संख्या अनिवार्य होगी जो आवेदन की तिथि या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। बिना आधार संख्या के कोई भी छात्र आधार नामांकन की ईआईडी संख्या प्रदान कर के आवेदन कर सकता है। आवेदक को पहचान के प्रमाण के रूप में अलग से निर्धारित अन्य दस्तावेज देने होंगे।

v. आधार के साथ आवेदन करने वाले 18 वर्ष् से अधिक आयु के प्रत्येक आवेदक को अपने बैंक खाते को अपने आधार नंबर से जोड़ना होगा और आवेदन के समय यह प्रमाणित करना होगा कि ऐसा किया गया है। ईआईडी के साथ ओवदन करने वालों और 18 वर्ष से कम आयु वाले आवेदक जिनके पास आधार संख्या नहीं है उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा।

ग) अभ्यर्थियों का चयन:

i. प्रत्येक श्रेणी के लिए मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उस श्रेणी में स्लॉट की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों की संख्या होगी। प्रत्येक श्रेणी में उस श्रेणी के लिए आवंटित स्लॉट के बराबर अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।

ii. प्रत्येक श्रेणी में, वैसे आवेदक जो एससी के लिए मैट्रिकपूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, ओबीसी के लिए मैट्रिकपूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, या एससी और ओबीसी (टीसीएस) के लिए उत्कृष्ट श्रेणी छात्रवृत्ति स्कीमों को तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त करने वाले हैं, को चयन में ओवर-राइडिंग प्राथमिकता मिलेगी। इन उम्मीदवारों की पात्रता मंत्रालय/एनएसपी/राज्य सरकारों के पास पहले से उपलब्ध डेटाबेस से स्वतः सत्यापित की जाएगी। इन मामलों का कोई और सत्यापन नहीं होगा। दिशानिर्देशों के पैरा 6 घ) और ड.) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन अभ्यर्थियों के लिए मेरिट सूची तैयार की जाएगी ।

iii. यदि उपर्युक्त प्रक्रिया के बाद भी रिक्त सीटें हैं, तो उन्हें दिशानिर्देशों के पैरा 6 घ) और ड.) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवंटित किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के लिए मंत्रालय पीएमएस-एससी में राज्य सरकार के माध्यम से आवेदनों के सत्यापन के लिए एक सुव्यवस्थित निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगा।

iv. सभी चयनित आवेदकों को कोचिंग स्कीम के लिए उनके चयन की सूचना देते हुए एक कंप्यूटर जनित पत्र भेजा जाएगा, जिसमें उनकी पसंद के संस्थान में शामिल होने और शुल्क रसीद को पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाएगा।

v. चयनित आवेदक मेरिट सूची की घोषणा के 6 महीने के भीतर अपनी पसंद के कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले लेंगे और डिजिटल रूप से भुगतान की गई शुल्क रसीद को पासबुक की संबंधित बैंक प्रविष्टि की एक प्रति के साथ पोर्टल पर अपलोड करेंगे , जिसमें संस्थान को शुल्क में भुगतान का उल्लेख होगा और संस्थान से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने पाठ्यक्रम में नामांकन ले लिया है और पहले ही कुल पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

घ. समय-सीमा:

स्कीम के तहत निम्नलिखित समय-सीमा होगी :

आवेदनों प्राप्ति के लिए अधिसूचना	1 मई
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 मई
पीएमएस और टीसीएस छात्रों के लिए मेधा सूची की घोषणा की संभावित तिथि	5 जून
अन्य के लिए मेरिट सूची घोषित करने की संभावित तिथि	30 जून

पीएमएस/टीसीएस छात्रों के कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने और शुल्क रसीदें अपलोड करने की अंतिम तिथि	4 दिसंबर
अन्य लोगों के कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि	29 दिसंबर
कोचिंग शुल्क जारी करने की अंतिम तिथि	शुल्क रसीद जमा करने के एक महीने के भीतर
परीक्षा हॉल टिकट अपलोड करने की अंतिम तिथि	प्रवेश परीक्षा की तारीख से 30 दिन पहले जिसके लिए कोचिंग ली गई है
वजीफा जारी करने की अंतिम तिथि	परीक्षा देने के संबंध में परीक्षा हॉल टिकट और स्व प्रमाणन अपलोड करने से 30 दिन पहले

10. स्कीम का कार्य-निष्पादन और निगरानी:

क. आवेदनों की छटनी तथा संसाधन में सहायता करने के साथ-साथ उम्मीदवारों की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय में एक परियोजना प्रबंधन समूह (पीएमजी) की स्थापना की जाएगी।

ख. इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने वाले चयनित उम्मीदवारों के प्रदर्शन की समीक्षा उनकी सफलता के बारे में या अन्यथा प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की जाएगी।

ग. कंप्यूटर और सहायक उपकरण, फर्नीचर, उपयुक्त सॉफ्टवेयर का विकास, विज्ञापन, पीएमजी के कर्मियों की नियुक्ति आदि सहित कार्यालय उपकरण के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक और संबद्ध लागतों को पूरा करने के लिए कुल बजट के 1% से अधिक का प्रावधान नहीं किया जाएगा।

घ. उचित जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एनआईएसडी के पीएमयू के माध्यम से स्कीम के अंतर्गत एल्गोरिथम के माध्यम से यादृच्छिक रूप से चुने गए कम से कम 25% संस्थानों/छात्रों का वास्तविक सत्यापन किया जाएगा।

11. झूठी सूचना प्रस्तुत करना

यदि किसी अभ्य्र्थी ने कोई गलत सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किया है और गलत साबित होता है, तो वह आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा और 15% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जारी की गई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे उम्मीदवार को सरकारी स्कीमों के अंतर्गत भविष्य के किसी भी लाभ के लिए कालीसूची में डाल दिया जाएगा।

अनुलग्नक

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग स्कीम के तहत अधिकतम शुल्क और न्यूनतम अवधि

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अधिकतम कुल पाठ्यक्रम शुल्क रुपये में	न्यूनतम *अवधि में महीने
1.	यूपीएससी/एसपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा	1,20,000	9 महीने (4 महीने की प्रारंभिक +5 महीने) मुख्य)
2.	एसएससी/आरआरबी	40,000	6 महीने
3.	बैंकिंग/बीमा/ पीएसयू/क्लैट	50,000	6 महीने
4.	जेईई/नीट	1,20,000	9 महीने (12 महीने से अधिक नहीं)
5.	आईईएस	80,000	-करना-
6.	कैट / सीएमएटी	60,000	-करना-
7.	जीआरई/जीमैट/सैट/आईईएलटीएस/टोफेल	35,000	3 महीने
8.	सीए-सीपीटी / गेट	75,000	9 माह
9.	सीपीएल पाठ्यक्रम	30,000	6 महीने
10.	एनडीए/सीडीएस	20,000	3 महीने

*उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रति सप्ताह 16 घंटे की न्यूनतम वास्तविक कोचिंग अनिवार्य होगी।